COURT FEE INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-361-II/2012

दीपचंद तनय बंशीधर जैन ,

निबासी सटई रोड छतरपुर जिला छतरपुर ....आवेदक

विरूद्व

अनिल कुमार तनय स्वरूपचंद जैन ,

निबासी सटई रोड छतरपुर जिला छतरपुर ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

9 FEB 2012

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 921/अ–27/2007–08 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 11/01/2012 से परिबेदित होकर कर रहा है , जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का अधिकार है।

2 यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विबरण इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक के पिता स्वरूपचंद जैन द्वारा भूमि खसरा नं0 1822/05 रकवा 1.518 हे0 आधी आधी क्रय करके मौके पर कब्जा प्राप्त करके आवेदक द्वारा अपने हिस्सा की भूमि रकबा 0.730 हेक्टर पर बाड़ लगाकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है तथा अनावेदक के पिता ने अपने हिस्से की भूमि के प्लॉट काटकर बिक्रय कर दिये तथा शेष रकवे पर गुलाब मैरिज हॉल के नाम से शादी घर का निर्माण कर लिया। इस प्रकार अनावेदक के पिता के नाम से मौके पर कोई भूमि शेष नहीं बची है। अनावेदक के पिता ने बदयॉती पूर्वक आवेदक की भूमि पर कब्जा करने के उददेश्य से एक झूठा आवेदनपत्र अधिनस्थ बिचारण न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्र0 क0 03/अ–70/05–06 पर पंजीवद्व करके उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का बिधिवत अवसर प्रदान कर उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्षमता पूर्वक अध्ययन कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनॉक 06/08/2007 को निरस्त कर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 361-पीबीआर/12 .... जिला .... छतरपुर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/9/15	आवेदक अभि० श्री राजेन्द्र पारीख उपस्थित होकर बताया गया है कि पक्षकार मे राजी नहीं है। अत: श्री पारीख द्वारा बताया गया है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अत: प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। प्रकरण न चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। सदस्य 22.9.15	राजेन्द्र पारीख 22/9/15

[कृ. प. उ.